कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय) जिला भोपाल

क्रमांक / 1170 / स्थापना / 2019-20 / भोपाल दिनाक 20 / 08 / 2020

प्रति,

कार्यालय प्रमुख / जिला प्रमुख
समस्त विभाग,
जिला भोपाल।

विषयः- कोविड-19 के प्रकोप के चलते भोपाल नगर एव जिले के समस्त दृष्टिबाधित दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट प्रदान करने के संबध मे।

संदर्भः- राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ म.प्र. का पत्र क्रमांक / nfbmp/2020/93दिनांक06.08.2020

----0----

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा बैंकिंग, व रेलवे कार्यालय जिसके अंतर्गत रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल, पश्चिम मध्य रेलवे कार्यालय, हबीबगज भोपाल में पदस्थ समस्त दृष्टिबाधित दिव्यांग कर्मचारियों एव अधिकारियों को कोविड-19 एवं परिवहन की व्यवस्था सामान्य होने तक कार्यालय मे आने से छूट प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

भारत सरकार कार्मिक मंत्रालय के पत्र दिनांक 27.03.2020 एवं म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक / सा.प्र.वि. / 484 / 2020 / 1 / 9 भोपाल, दिनाक 08 / 11 मई 2020 द्वारा शासकीय कार्य पर उपस्थित होने हेतु दिव्यांग कर्मचारियों को छूट प्रदान की गई है।

अतः आपके कार्यालय में पदस्थ दिव्यांग कर्मचारियों को (अत्यावश्यक सेवा मे लगे कर्मचारियो को छोड़कर) भारत सरकार एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार कार्यालय में आने से छूट प्रदान की जावें।

कलेक्टर,
जिला भोपाल

पृ0क्रमांक / 1171 / स्थापना / 2019-20 / भोपाल दिनांक 20 / 08 / 2020

प्रतिलिपिः-

श्री अवधेश विश्वकर्मा,महासचिव,राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ म.प्र.शाखा कार्यालय, भोपाल.मो. नं. 9301529222 की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर,
जिला भोपाल